भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4251

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बाढ़सह्य कृषि पद्धतियाँ

4251. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार वर्तमान मानसून ऋतु में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों में हुई फसल की क्षति का ब्यौरा प्रदान करती है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार और फसलवार क्षति का आकलन क्या है;

(ग) सरकार मौसम की विषम घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु पूर्व चेतावनी प्रणालियों और बाढ़-सह्य कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार इस मानसून में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए किसी विशेष फसल बीमा या ऋण माफी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) के अनुसार, क्षति का आकलन और जमीनी स्तर पर राहत उपाय प्रदान करने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग के लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है, के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के लिए होती है, न कि नुकसान /दावों की भरपाई के लिए।

राज्यों को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय की वेबसाइट ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

बाढ़/भारी वर्षा से प्रभावित राज्यों का विवरण **अनुबंध I** पर दिया गया है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सूखा प्रबंधन हेतु फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजीडीएम) गठित है जो वर्षा की स्थिति, खरीफ फसलों की बुवाई की प्रगति, जलाशयों के स्तर और अन्य मापदंडों की समीक्षा कर सूखे की स्थिति का निर्धारण/आकलन करता है और

दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून से सितंबर) के दौरान राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूखे जैसी किसी भी स्थिति में राज्यों की तैयारियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करता है।

सूखे पर संकट प्रबंधन समूह गठित है, जो आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों, राज्यों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ सूखे की स्थिति की समीक्षा करता है।

सूखे के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) स्थापित है। यह संकट के समय आवश्यक सूखा प्रबंधन हस्तक्षेपों पर फोकस करता है। यह आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। सीएमपी संकट के चरणों की पहचान करने और प्रत्येक चरण के अनुरूप कार्यनीतिक प्रतिक्रिया के लिए संकट प्रबंधन फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस योजना में एक कार्यनीतिक गतिविधि योजनाकार का भी प्रावधान है, जो सूखे की तैयारी, सूखे की रिपोर्टिंग और सूखे से निपटने के संबंध में वर्ष के विभिन्न समय में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों और चिन्हित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के लिए एक रेडी रेकनर के रूप में कार्य करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के उपाय **अनुबंध II** पर दिए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने चक्रवात, भारी वर्षा और अन्य गंभीर प्रतिकूल स्थितियों जैसी गंभीर मौसम घटनाओं के लिए उन्नत पूर्व-चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिसे **अनुबंध III** पर देखा जा सकता है।

(घ) और (ङ): प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, देश में खरीफ 2016 सीजन से उपज सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की गई है। यह एक मांग आधारित योजना है और खरीफ 2020 सीजन से किसानों को प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय दायित्व केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पहाड़ी राज्यों में 90:10 के आधार पर साझा किया जाता है। आरंभ से ही यह योजना राज्यों के लिए और खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए फसल-बुवाई के पहले से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, गर्म हवाएं, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली, टाइफून, आंधी, चक्रवाती तूफान, बवंडर आदि जैसे न रोके जाने वाले प्राकृतिक जोखिमों/और चरम जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर पर उपज हानि और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि और प्रतिबंधित बुवाई के कारण फसल के बाद होने वाली हानि के एवज में भी सुरक्षा प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा ऋण माफी का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध I

वर्तमान मानसून सीजन 2025 (13.08.2025 तक) के दौरान बाढ़/भारी वर्षा से प्रभावित राज्यों और प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	1714
2.	असम	33966
3.	झारखंड	171
4.	कर्नाटक	25824
5.	महाराष्ट्र	91429
6.	मणिपुर	1440
7.	मेघालय	6372
8.	नागालैंड	556
9.	ओडिशा	10115
10.	पंजाब	7893
11.	सिक्किम	8
12.	उत्तर प्रदेश	68234
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1239
14.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	शून्य
15.	उत्तराखंड	115
16.	पंजाब	7892
कुल		249076

स्रोत: गृह मंत्रालय से प्राप्त।

अनुबंध II

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के लिए उपाय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करने के लिए फसलों/फसल पद्धतियों के साथ-साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2016-17 से कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू की। कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया था। वर्ष 2023-24 से एसएमएएफ योजना का पुनर्गठन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि वानिकी घटक के रूप में किया गया है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन पर केंद्रित है। कृषि वानिकी पेड़ों और मिट्टी में कार्बन को अलग करके, वायुमंडलीय CO_2 के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। यह मृदा अपरदन को रोककर, जल धारण क्षमता में सुधार करके तथा स्थानीय तापमान को नियंत्रित करके भूमि की लचीलापन क्षमता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि वानिकी पारिस्थितिकी तंत्र को सूखे और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाओं से बचाती है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों के लिए एक प्रभावी कार्यनीति बन जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2014-15 से देशभर में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) की मुख्य रूप से प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। आरएडी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। वर्ष 2014-15 से 2021-2022 तक, आरएडी को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के एक घटक के रूप में लागू किया गया था। वित्त वर्ष: 2022-23 के दौरान, आरएडी आरकेवीवाई योजना का एक घटक बन गया। आरएडी के तहत, फसलों/फसल पद्धतियों को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों के साथ समेकित किया जाता है ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि रिटर्न को अधिकाधिक बढ़ा सकें, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। आरएडी घटक के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को उनकी भूमि के आकार के निरपेक्ष 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) देश भर में कृषि में जलवायु अनुकूल सुदृढ़ करने और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। एनआईसीआरए द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार कृषि प्रधान 573 जिलों का जिला स्तरीय जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन किया गया और किसान भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से 151 जलवायु अतिसंवेदनशील जिलों में से प्रत्येक के एक गांव समूह में किसानों के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। जिला स्तर पर, केवीके आशाजनक जलवायु अनुकूल पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण में सुविधा प्रदान

करते हैं। ग्राम स्तर पर, ग्राम जलवायु जोखिम प्रबंधन समितियां (वीसीआरएमसी), कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी), बीज बैंक और चारा बैंक अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रसार में मदद करते हैं।

जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों में जलवायु अनुकूल किस्में, अनुकूल इंटरक्रोपिंग पद्धतियां, संरक्षण कृषि, धान से अन्य वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, कृषि वानिकी प्रणालियां, शून्य जुताई बुवाई, चावल की खेती के वैकल्पिक तरीके, हरी खाद, समेकित कृषि प्रणालियां, समेकित पोषक तत्व और कीट प्रबंधन, जैविक खेती, स्थानीय नमी संरक्षण, सुरक्षात्मक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई आदि शामिल हैं, जिन्हें विकसित किया गया है और बड़ी संख्या में किसानों के समक्ष प्रदर्शित किया गया है।

अध्ययनों से यह पता चलता है कि बुवाई के समय में बदलाव, कम अवधि वाली, गर्मी, सूखा और बाढ़ सहने योग्य किस्मों की खेती, बेहतर पोषक तत्व और जल प्रबंधन कार्यनीतियों के साथ, प्रमुख फसलों की उत्पादकता को बढ़ाती है। भारत के 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाएं (डीएसीपी) विकसित की गईं, जिनमें मौसम संबंधी असामान्यताओं को शामिल किया गया और राज्य विभागों (https://agriwelfare.gov.in/en/DocAgriContPlan पर उपलब्ध) द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु-अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की संस्तुति की गई। किसानों और अन्य हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उनके अनुकूलन एवं अल्पीकरण उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

अनुबंध III

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने चक्रवात, भारी वर्षा और अन्य चरम स्थितियों जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के लिए उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की हैं। गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं की पूर्व चेतावनी एक अत्याधुनिक अवलोकन नेटवर्क द्वारा समर्थित है जिसमें सतह, ऊपरी वायु, सुदूर संवेदन अवलोकन, उच्च-रिज़ॉल्यूशन गतिशील मॉडल पर आधारित निर्बाध पूर्वानुमान प्रणालियाँ और अलर्ट व चेतावनियाँ उत्पन्न करने के लिए जीआईएस-आधारित उपकरण शामिल हैं। सूचना का समय पर और प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण प्रणाली आधुनिक दूरसंचार तकनीकों से एकीकृत है।

एमओईएस के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) अपने भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से देश और उसके आसपास आने वाले भूकंपों की निगरानी करता है और तीव्रता मानचित्र के साथ भूकंप की घटना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक संपूर्ण जीआईएस-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली (डीएसएस) विकसित की है, जो चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से नियमित रूप से प्रभावित होने वाले राज्यों सहित पूरे देश में सभी मौसम संबंधी खतरों का समय पर पता लगाने और निगरानी के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों के फ्रंट एंड के रूप में कार्य करती है। यह प्रणाली ऐतिहासिक आँकड़ों का उपयोग करती है, जिसमें चरम घटनाएँ, साथ ही भारतीय क्षेत्र और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध वास्तविक समय की सतही और ऊपरी वायु मौसम संबंधी प्रेक्षण शामिल हैं। इसमें हर 10 मिनट में उपलब्ध रडार प्रेक्षण और हर 15 मिनट में उपलब्ध उपग्रह उत्पाद भी शामिल हैं। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों में संचालित मॉडलों के एक समूह से संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान उत्पादों का भी उपयोग करता है।

भारत को "वेदर रेडी और क्लाईमेट-स्मार्ट" राष्ट्र बनाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, "मिशन मौसम" शुरू की गई है।

संवेदनशील आबादी तक चेतावनियों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आईएमडी की मौसम संबंधी जानकारी, जिसमें जनता के लिए अलर्ट और चेतावनियाँ शामिल हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रदान की जाती है:

- मास मीडिया: रेडियो/टीवी, समाचार पत्र नेटवर्क (एएम, एफएम, सामुदायिक रेडियो, निजी टीवी), प्रसार भारती और निजी प्रसारणकर्ता।
- साप्ताहिक और दैनिक मौसम वीडियो।
- इंटरनेट (ईमेल), एफ़टीपी
- सार्वजनिक वेबसाइट (mausam.imd.gov.in)

- आईएमडी ऐप्स: मौसम/मेघदूत/दामिनी/रेन अलार्म
- सोशल मीडिया: फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, ब्लॉग

1. X: https://twitter.com/Indiametdept
2. फेसबुक: https://www.facebook.com/India.Meteorological.Department/
3. ब्लॉग: https://imdweather1875.wordpress.com/
4. इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/mausam_nwfc
5. यूट्यूब: https://www.youtube.com/channel/UC_qxTReoq07UVARm87CuyQw

आईएमडी ने 13 सबसे खतरनाक मौसम संबंधी घटनाओं, जिनसे व्यापक क्षति और आर्थिक, मानवीय तथा पशु हानि होती है, के लिए एक वेब-आधारित ऑनलाइन "भारत का जलवायु संकट और सुभेद्यता एटलस" भी तैयार किया है।

आईएमडी ने जनता के उपयोग हेतु 'उमंग' मोबाइल ऐप के साथ अपनी सात सेवाएँ (वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर पूर्वानुमान, वर्षा सूचना, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियाँ और चक्रवात) शुरू की हैं। आईएमडी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए 'मौसम', कृषि मौसम संबंधी सलाह के प्रसार के लिए 'मेघदूत' और बिजली गिरने की चेतावनी के लिए 'दामिनी' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। एनडीएमए द्वारा विकसित कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (सीएपी) भी आईएमडी द्वारा चेतावनियाँ प्रसारित करने के लिए लागू किया जाता है।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) संबंधित राज्य सरकारों को चिन्हित स्थानों पर 24 घंटे तक के समय के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। एक निश्चित सीमा तक पहुँचने पर समय पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।

देश में बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के बाढ़ पूर्वानुमानों से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से जनता तक वास्तविक समय में पहुँचाने के लिए, केंद्रीय जल आयोग द्वारा 'फ्लडवॉच इंडिया' मोबाइल एप्लिकेशन का संस्करण 2.0 विकसित किया गया है, जो देश भर में बाढ़ की स्थिति की वर्तमान जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, यह देश के 150 प्रमुख जलाशयों की भंडारण स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे उनके निचले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। 'फ्लडवॉच इंडिया' ऐप डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

*****